प्रेस नोट
दिनांक 08.03.2025

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसों की ठगी करने के आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0-241/2024, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(2), 352, 351(3), 338 बीएनएस से सम्बन्धित नामजद 02 आरोपी अभियुक्तों 01. श्याम सुन्दर, 02. संजय भारती को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी अतुल कुमार गुप्ता पुत्र दिलीप कुमार गुप्ता निवासी बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर पर सूचना दिए कि विपक्षी अपने विद्यालय में बतौर लिपिक के पद पर वादी को सेवायोजना कराने का प्रलोभन देकर फर्जी एवं कूटरचित नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया तथा तथा सेवायोजना अहर्यता के लिए रिफन्डेबल सिक्योरिटी के रूप में अपने खाते में पैसा जमा कर हडप लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर में मु0अ0सं0-241/2024, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(2), 352, 351(3), 338 बीएनएस बनाम श्याम सुन्दर व संजय भारती के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 08.03.2025 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी 02 आरोपी अभियुक्तों 01. श्याम सुन्दर व 02. संजय भारती को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. श्याम सुन्दर पुत्र गनेशी निवासी ग्राम मुडाडीहा पोस्ट विशुनपुर बैरिया थाना को0देहात जनपद गोण्डा।
02. संजय भारती पुत्र श्याम सुन्दर निवासी ग्राम मुडाडीहा पोस्ट विशुनपुर बैरिया थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-241/2024, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(2), 352, 351(3), 338 बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 परशुराम सिंह
02. उ0नि0 अवधेश यादव
03. उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय
04. हे0का0 आनन्द प्रकाश यादव
05. का0 शुभम सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.03.2025, थाना को0मनकापुर

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा आपराधिक विश्वासघात करने वाले डीसीएम चालक को किया गया गिरफ्तार, चोरी की डी0सी0एम गाड़ी व माल 750 पेटी पेय पदार्थ (Limca, Thums Up, Sprite, Fanta) बरामद।

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-104/25, धारा 316(3), 303(2), 317, 61(2) बीएनएस से सम्बन्धित आपराधिक विश्वासघात करने वाले डीसीएम गाड़ी के चालक वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र शिवकुमार पाण्डेय निवासी ग्राम बैरीपुर दत्तपुर, थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा को आईटीआई तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री मंशाराम पुत्र बद्री प्रसाद निवासी लोकनाथपुर महरूआ जनपद अम्बेड़कर नगर द्वारा थाना को0मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनका मिनी ट्रक(डीसीएम) को चालक वीरेन्द्र कुमार चलाता है। डीसीएम पर फैजाबाद से पेय पदार्थ (लिम्का व कोको-कोला) लोड़ करके गोण्डा पहुचाने ले जा रहा था। डीसीएम गाड़ी, लदा माल व ड्राइबर व गाड़ी के समस्त कागजात का पता नही चल रहा है। वादी की तहरीर पर थाना को0मनकापुर में मु0अ0सं0-104/25, धारा 316(3) बीएनएस बनाम गाड़ी चालक वीरेन्द्र कुमार व बासुदेव के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था । आज दिनांक 08.03.2025 को विवचेना के दौरान दोषी आरोपी अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र शिवकुमार पाण्डेय निवासी ग्राम बैरीपुर दत्तपुर, थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा को आईटीआई तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र शिवकुमार पाण्डेय निवासी ग्राम बैरीपुर दत्तपुर, थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-104/25, धारा 316(3), 303(2), 317, 61(2) बीएनएस थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

माल बरामदगी

01. डी0सी0एम0
02. 750 पेटी (Limca, Thums Up, Sprite, Fanta)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह
02. हे0का0 राकेश कन्नौजिया
03. हे0का0 कमलेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।